कार्यालय क्षेत्र संचालक, कान्हा टायगर रिजर्व,
मण्डला (म.प्र.) 481661

ई–मेलः fdknp.mdl@mp.gov.in, दूरभाषः 07642-250760, फैक्सः 07642-251266

Kanha

//आदेश//

क्रमांक/162 मण्डला, दिनांक 22 अप्रैल 2021

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मण्डला के संशोधित आदेश क्रमांक 178/रीडर/2021, दिनांक 19.04.2021 के द्वारा मण्डला जिले में कोविड–19 महामारी के संक्रमण में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए मण्डला जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू दिनांक 30 अप्रैल 2021 को सुबह 06.00 बजे तक के लिये बढ़ाया गया है।

उक्त कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त गतिविधियों में पर्यटन गतिविधि सम्मिलित न होने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्टेनो/160, दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 23 अप्रैल 2021 तक कान्हा टाईगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि को स्थगित किया गया था। अतः उक्त स्थिति को देखते हुए एतद् द्वारा कान्हा टाईगर रिजर्व के सम्पूर्ण क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को आगामी दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिये स्थगित किया जाता है।

यह आदेश मण्डला एवं बालाघाट जिले में स्थापित कान्हा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील होगा।

22/4

(एस.के. सिंह भा.व.से.)
क्षेत्र संचालक
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला

पृ.क./स्टेनो/पर्यटन/1387 मण्डला, दिनांक 22/4/2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मण्डला एवं बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– संचालक, एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4– उप संचालक, कोर/बफर, कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला की ओर सूचनार्थ।
5–जन सम्पर्क अधिकारी, जिला मण्डला/बालाघाट की ओर समाचार पत्रो में प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
6– समस्त सहायक संचालक, कोर/बफर, कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7– समस्त परिक्षेत्र अधिकारी, कोर/बफर, कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला की ओर सूचनार्थ।
8– अध्यक्ष, लॉज एसोसियशन, कान्हा, ग्राम मुक्की की ओर सूचनार्थ।
9– अध्यक्ष जिप्सी एसोसियशन, ग्राम खटिया/मुक्की की ओर सूचनार्थ
10 अध्यक्ष, गाईड एसोसियशन, खटिया/मुक्की/सरही की ओर सूचनार्थ।

22/4

क्षेत्र संचालक
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला